

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 62/2019

निर्णय दिनांक : 05.03.2021

**उनवान**

1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री मोहनलाल शर्मा
2. मोहनलाल शर्मा पुत्र स्व श्रीनारायण  
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीयान-प्लांट नम्बर 39, सुन्दर नगर, सिविल लाईन (मदरामपुरा)  
अजमेर रोड, जयपुर।

वादीगण

**बनाम**

1. फूली देवी पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी मदरामपुरा, जयपुर।
2. भंवरी देवी उर्फ भौरी देवी पत्नी श्री गौरीशंकर पुत्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी-ए-1,  
केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
3. मोहनलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी केशोपुरा, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। हमने वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व वाद में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जाकर दिनांक 25.09.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। दिनांक 05.02.2021 को उभयपक्षकारान की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् आपसी सहमति से निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने का पेश किया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बरान् एवं राजस्व नक्शा संलग्न कर वर्तमान जमाबन्दी ग्राम केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 625/924 रकबा 0.1360 कुल खसरा 1 रकबा 0.1360 का बटवारा उभयपक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र के अनुसार वादी संख्या 1 का हिस्सा 3/7 यानी 0.058285, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/14 यानी 0.009714, दोनो वादीगण का संयुक्त हिस्सा 0.067999 जिसे संलग्न राजस्व नक्शे में परपल रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/7 यानी 0.019428, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/14 यानी 0.009714 व हिस्सा 1/7 यानी 0.019428, दोनो प्रतिवादी का संयुक्त हिस्सा 0.04857 हैक्टियर जिसे संलग्न राजस्व नक्शे में नीले रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/7 यानी 0.019428 जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि ग्राम केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 625/924 रकबा 0.1360 कुल खसरा 1 रकबा 0.1360 हैक्टियर का उक्तानुसार विभाजन कर अलग खाता व लगान कायम किया जाकर इसी अनुरूप निर्णय व अंतिम डिक्री पारित किये जाने के आदेश प्रदान करने एवं उसी अनुरूप राजस्व नक्शे में तरमीम करने बाबत् निवेदन किया।

हमने वकूलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर पक्षकारान की ओर से दिनांक 05.02.2021 पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अंतिम डिक्री पारित किये जाने का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित हिस्से अनुसार वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 625/924 रकबा 0.1360 हैक्टियर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 3/7 यानी 0.058285, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/14 यानी 0.009714, दोनो वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)



संयुक्त हिस्सा 0.067999 जिसे संलग्न राजस्व नक्शे में परपल रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/7 यानी 0.019428, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/14 यानी 0.009714 व हिस्सा 1/7 यानी 0.019428 दोनो प्रतिवादी का संयुक्त हिस्सा 0.04857 हैक्टेयर जिसे संलग्न राजस्व नक्शे में नीले रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/7 यानी 0.019428 जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया है। अतः विवादग्रस्त भूमि ग्राम केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 625/924 रकबा 0.1360 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.1360 हैक्टेयर का उक्तानुसार विभाजन कर अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते हैं। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश कुमार नामक)  
उपरवर्णित अधिकारी  
आर.ए.एस.  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)  
उपरवर्णित अधिकारी  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),  
जयपुर

**अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास श्री जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 62/2019

**उनवान**

1. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री मोहनलाल शर्मा
2. मोहनलाल शर्मा पुत्र स्व श्रीनारायण  
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीयान-प्लांट नम्बर 39, सुन्दर नगर, सिविल लाईन (मदरामपुरा) अजमेर रोड, जयपुर।

वादीगण

**बनाम**

1. श्री देवी पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी मदरामपुरा, जयपुर।
2. भंवरी देवी उर्फ भौरी देवी पत्नी श्री गौरीशंकर पुत्री राधेश्याम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी-ए-1, केसरी चन्द चौधरी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
3. मोहनलाल पुत्र रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी केशोपुरा, जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

**वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर पक्षकारान की ओर से दिनांक 05.02.2021 पेश प्रार्थना पत्र बाबत अंतिम डिक्री पारित किये जाने का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित हिस्से अनुसार वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 625/924 रकबा 0.1360 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 3/7 यानी 0.058285, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/14 यानी 0.009714, दोनो वादीगण का संयुक्त हिस्सा 0.067999 जिसे संलग्न राजस्व नक्शे में परपल रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/7 यानी 0.019428, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/14 यानी 0.009714 व हिस्सा 1/7 यानी 0.019428 दोनो प्रतिवादी का संयुक्त हिस्सा 0.04857 हैक्टेयर जिसे संलग्न राजस्व नक्शे में नीले रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/7 यानी 0.019428 जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया है। अतः विवादग्रस्त भूमि ग्राम केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 625/924 रकबा 0.1360 कुल खसरा 1 कुल रकबा 0.1360 हैक्टेयर का उक्तानुसार विभाजन कर अलग खाता व लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते हैं।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.03.2021 को जारी की गई।

दस्तखत .....

✓  
**उपखण्ड अधिकारी**  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

